विविध बैंक प्रकरण संख्या 107/2022(GCMS : 2022/156) पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री चतुर्भुज यादव, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा गौशाला रोड़, 173–174 जी ब्लॉक, सुखाड़िसा सर्कल, श्रीगंगानगर (राज.) **बनाम** 1. **ज्योति पत्नी श्री राकेश कुमार** निवासी मकान नं. ई–37, रॉयल एंक्लेव, कालियाँ, तहसील व जिला श्रीगंगानगर 2. **राकेश कुमार पुत्र बुधन राम** निवासी मकान नं. ई–37 रॉयल एंक्लेव, कालियाँ तहसील व जिला श्रीगंगानगर

11.02.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण मिड्ढा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 22.06.2022 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ज्योति एवं राकेश** को ऋण सुविधा के रूप में कुल 5,61,320/– रूपये (अखरे रूपये पांच लाख इक्सठ हजार तीन सौ बीस रूपये मात्र) का ऋण दिनांक 18.12.2020 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ज्योति की आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. ई–37, रॉयल एन्क्लेव (क्षेत्रफल 525 वर्गफुट) गांव कालियाँ, चक 4 जी बड़ी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 01.02.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 01.02.2022 को 5,70,692/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्च अतिरिक्त बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 21.02.2022 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 21.02.2022 से भिजवाये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिसकी पावती के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणीं द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक** रखी गई अप्रार्थी ज्योति की आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. ई–37, रॉयल एन्क्लेव (क्षेत्रफल 525 वर्गफुट) गांव कालियाँ, चक 4 जी बड़ी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण ज्योति एवं राकेश कुमार को** 5,61,320 रूपये (अखरे रूपये पांच लाख इक्सठ हजार तीन सौ बीस मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 18.12.2020 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ज्योति ने अपनी आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. ई–37, रॉयल एन्क्लेव (क्षेत्रफल 525 वर्गफुट) गांव कालियाँ, चक 4 जी बड़ी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 01.02.2022 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 21.02.2022** को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 21.02.2022 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थी के धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है एवं धारा 13(4) के नोटिस का प्रकाशन दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित करवाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:11 IST
Reason: SelfAttested

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ज्योति की आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. ई–37, रॉयल एन्क्लेव (क्षेत्रफल 525 वर्गफुट) गांव कालियाँ, चक 4 जी बड़ी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 21.02.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 21.02.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अ**प्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 21.02.2022 को भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की एवज में अप्रार्थी ऋणी ज्योति के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी ज्योति द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. ई–37, रॉयल एन्क्लेव (क्षेत्रफल 525 वर्गफुट) गांव कालियाँ, चक 4 जी बड़ी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:11 IST
Reason: SelfAttested